न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 82/2019

अपीलांट

जयकरण पुत्र श्री डुंगरदान जी जाति चारण, उम्र 70 वर्ष निवासी –ग्राम रूपावास, तहसील पाली, जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. गुमानसिंह
2. भवानसिंह
3. गोविन्दसिंह
4. श्री कैलाशदान पिसरान श्री शेषकरणसिंह जी जातिगण चारण, निवासीगण ग्राम रूपावास तहसील पाली जिला पाली राज.
5. स्टेट जरिये तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः–

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 19/2018 बउनवान जयकरण बनाम गुमानसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम रूपावास, तहसील पाली के खसरा नंबर 642/2 रकबा 37 बीघा किस्म नहरी अपीलाट की स्वंय की मालिकाना हक की खातेदारी तरमीम शुदा कृषि भूमि स्थित है। जिस संबध में वर्तमान जमाबंदी की नकल एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। अपीलांट को उक्त आराजी पर कदीम से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिस बाबत पासबुक का नकल संलग्न है। अपीलांट की उक्त तरमीम शुदा खातेदारी कृषि भूमि में स्थित अपनी पश्चिम दिशा वाली माठ भूमि एकीकरण समय से अपीलांट की उक्त कृषि भूमि मे स्थित अपनी पश्चिम दिशा वाली माठ भूमि एकीकरण समय से अपीलांट की उक्त कृषि भूमि में स्थित है जो हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान दिनांक 02.04.2019 से भी स्पष्ट है। अपीलांट की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कृषि भूमि में स्थित उक्त माठ अपीलांट की कृषि भूमि का ही भाग है, जिस संदर्भ में जानबूझकर रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की मालिकाना हक की खातेदारी उक्त कृषि भूमि का हडपने की नियति से गलत कथन करते हुए भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है। जिसे संदर्भ में अपीलांट के पिता की उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 642 में से अपीलांट के मालिकाना हक की उक्त कृषि भूमि जरिये पारिवारिक बंटवाडा खसरा नंबर 642/2 प्राप्त हुई। अपीलांट की उक्त कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग में रेस्पोडेन्टगण द्वारा कृषि भूमि की माठ पर बबूल की झाडी व साफ–सफाई करने जाने पर रेस्पोडेन्टण द्वारा बिना युक्तियुक्त कारण के अपीलांट के उक्त कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप करने लगे तथा माठ की सफाई एवं उक्त तरमीम शुदा खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप करते हुए अपीलांट को रोका गया। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट को उक्त मालिकाना हक की उक्त तरमीम शुदा आराजी के उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 05 तहसीलदार पाली के समक्ष अपील कृषि भूमि के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पष्चात बाद जांच अपीलांट की मालिकाना हक की उक्त तरमीम शुदा उक्त भूमि का दिनांक 02.04.2019 को मौके पर जाकर मौतबिरान के उपस्थिति में अपीलांट की आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया। किन्तु उसके बावजूद रेस्पोडेन्टगण अपीलांट को अपनी खातेदारी तरमीम शुदा कृषि भूमि में स्थित अपनी मांठो पर बबूल की झाडियां वगैरा कांटने नहीं दे रहे है। इस संबध में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी आराजी में उपयोग–उपभोग मे व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट की मौजा ग्राम रूपावास मे खसरा नंबर 642/2 रकबा 37 बीघा किस्म नहरी स्वंय की खातेदारी की कब्जा शुदा मालिकाना हक की तरमीम शुदा कृषि भूमि आई हुई है, जिसका अपीलांट द्वारा पुन दिनांक 02.04.2019 को सीमांकन तक करवा दिया, उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में यह अंकन किया है कि माठ अपीलांट अपनी बता रहा है, उसके बारे मे कोई सबूत पेश नहीं किये जाने का कथन करना पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का अध्ययन नहीं किया गया एवं न ही अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष पढा गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि अपीलांट अपनी खातेदारी की तरमीम शुदा भूमि की अपनी सीमाओ में कृषि कार्य करना चाहता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेवेन्यु रेकर्ड के संबध में न्यायालय के प्रम्जसन के बारे में आर.आर.एल एक्ट की धारा 140 के विपरित जाकर उक्त कथन कतई न्यायसंगत नहीं है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद माठ के विवाद को लेकर कतई नहीं किया है न ही तदनुरूप अपीलांट द्वारा किसी प्रकार को कोई अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस के तथ्यो एवं दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय को अपास्त फरमावे।

अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम रूपावास, तहसील पाली मे खसरा नंबर 642/2 रकबा 37 बीघा अपीलांट की मालिकाना हक की कब्जा काश्त की तरमीम शुदा खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार की कोई दखलअंदाजी अथवा व्यवधान न करने हेतु रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अपीलांट द्वारा स्वंय के खसरा संख्या 642/2 की कृषि भूमि होने बाबत कथन कर स्वयं के पश्चिम दिशा की भूमि माठ के बाबत वाद पेश किया है तथा पश्चिम की तरफ अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 641 की कृषि भूमि होना दर्शाया गया है व इन दोनो खसरो के बीच की माठ का विवाद होने का कथन कर धारा 188 का वाद प्रस्तुत किया है जो सीमा विवाद है। सीमा विवाद से संबधित वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम रूपावास, तहसील पाली के खसरा नंबर 642/2 रकबा 37 बीघा किस्म नहरी अपीलाट की स्वंय की मालिकाना हक की खातेदारी तरमीम शुदा कृषि भूमि स्थित है। जिस संबध में में वर्तमान जमाबंदी की नकल एवं नक्शा ट्रेस संलग्न है। अपीलांट को उक्त आराजी पर कदीम से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिस बाबत पासबुक का नकल संलग्न है। अपीलांट की उक्त तरमीम शुदा खातेदारी कृषि भूमि में स्थित अपनी पश्चिम दिशा वाली माठ भूमि एकीकरण समय से अपीलांट की उक्त कृषि भूमि मे स्थित अपनी पश्चिम दिशा वाली माठ भूमि एकीकरण समय से अपीलांट की उक्त कृषि भूमि में स्थित है जो हल्का पटवारी द्वारा करवाये गये सीमाज्ञान दिनांक 02.04.2019 से भी स्पष्ट है। अपीलांट की कृषि भूमि में स्थित उक्त माठ अपीलांट की कृषि भूमि का ही भाग है, जिस संदर्भ में जानबूझकर रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की मालिकाना हक की खातेदारी उक्त कृशि भूमि का हडपने की नियति से गलत कथन करते हुए भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है। जिसे संदर्भ में अपीलांट के पिता की उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 642 में से अपीलांट के मालिकाना हक की उक्त कृषि भूमि जरिये पारिवारिक बंटवाडा खसरा नंबर 642/2 प्राप्त हुई। अपीलांट की उक्त कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग में रेस्पोडेन्टगण द्वारा कृषि भूमि की माठ पर बबूल की झाडी व साफ–सफाई करने जाने पर रेस्पोडेन्टण द्वारा बिना युक्तियुक्त कारण के अपीलांट के उक्त कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप करने लगे तथा माठ की सफाई एवं उक्त तरमीम शुदा खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप करते हुए अपीलांट को रोका गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट को उक्त मालिकाना हक की उक्त तरमीम शुदा आराजी के उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 05 तहसीलदार पाली के समक्ष अपील कृषि भूमि के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात बाद जांच अपीलांट की मालिकाना हक की उक्त तरमीम शुदा उक्त भूमि का दिनांक 02.04.2019 को मौके पर जाकर मौतबिरान के उपस्थिति में अपीलांट की आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया। किन्तु उसके बावजूद रेस्पोडेन्टगण अपीलांट को अपनी खातेदारी तरमीम शुदा कृषि भूमि में स्थित अपनी मांठो पर बबूल की झाडियां वगैरा कांटने नहीं दे रहे है। इस संबध में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी खातेदारी आराजी में उपयोग–उपभोग मे व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके अन्तर्गत रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम रूपावास तहसील पाली के खसरा नंबर 642/2 रकबा 37 बीघा मालिकाना हक की कब्जा काश्त की तरमीम शुदा खातेदारी आराजी पर रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का निवेदन किया, न कि माठ के संबध में अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौका फर्द दिनांक 02.04.2019 में यह स्पष्ट है कि श्रीमान तहसीलदार साहब पाली के आदेश क्रमांक/भू.अ./19/1820 दिनांक 11.03.2019 के अनुसार ग्राम रूपावास के खसरा नंबर 642/2 रकबा 37 बीघा किस्म नहरी भूमि खातेदार की जयकरण पुत्र डूंगरदान जी कौम चारण सा. रूपावास उक्त खसरे मौके पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता रूबरू सीमा ज्ञान करवाया गया तथा राजस्व नक्शा में खसरा 642/2 का नक्शा तरमीम की गई। उक्त मौका रिपोर्ट सीमा ज्ञान से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 642/2 रकबा 37 बीघा किस्म नहरी पर अपीलांट का कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। जिससे अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 642/2 रकबा 37 बीघा किस्म नहरी तरमीम शुदा का उपयोग–उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र के तथ्यो के विपरित जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 19/2018 बउनवान जयकरण बनाम गुमानसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2019 को अपास्त किया जाता है। एवं पक्षकारो में अनावश्यक विवाद न बढे, अत आदेश दिया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण एक–दूसरे के खातेदारी आराजी में दखलदांजी एवं मजमत न करे। अधीनस्थ न्यायालय निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
30/03/2021